

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 7 मई 2011—वैशाख 17, शक 1933

गृह (सी-अनुभाग) विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. एफ-35-82-2011-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये;

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10, सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इन्कार किये जाने का दिनांक 7 मई, 2011 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

“वन विभाग के विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाएं.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 मई 2011

क्र. एफ-35-82-2011-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 मई, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेनू तिवारी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th May 2011

F. No. 35-82-2011-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the below Schedule for three months with effect from 7th May 2011 :—

SCHEDULE

“Services of all officers and employees of the Head of Department and its subordinate offices of Forest Department.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RENU TIWARI, Dy. Secy.